राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
पंचायती राज

क्रमांक एफ37(1)पंरावि/प्रशा–2/समितिमांग/2016/ 3419 जयपुर,दिनांक 7-9-17

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
2. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति समस्त।

विषयः– जॉब–चार्ट में संशोधन बाबत्।
प्रसंगः– विभागीय परिपत्र क्रमांक 3497 दिनांक 23.12.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय परिपत्र क्रमांक 3497 दिनांक 23.12.2013 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत ग्रामसेवक पदेन सचिव एवं कनिष्ठ लिपिक प्रथम व द्वितीय का जॉब–चार्ट जारी किया गया था। उक्त जॉब–चार्ट में कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड–द्वितीय) को नव–नियुक्ति के कारण तत्कालीन परिस्थितियों में ग्राम सेवक के नियंत्रण में रखा गया था।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 2(viii) के अनुसार पंचायत का कार्यालय–प्रधान सरपंच है। साथ ही ग्राम सेवक एवं कनिष्ठ लिपिक दोनों की ग्रेड–पे 2400 बराबर होने से इन्हें एक दूसरे के नियंत्रण में रखा जाना उचित नही है। अतः पत्र क्रमांक 3497 दिनांक 23.12.2013 द्वारा जारी ग्राम सेवक पदेन सचिव तथा कनिष्ठ लिपिक के जॉब चार्ट में जहॉ–जहॉ अभिव्यक्ति ''कनिष्ठ लिपिक ग्राम सेवक के नियन्त्रण में एवं सहायक के रूप में कार्य करेगा।'' अंकित है, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''कनिष्ठ लिपिक एवं ग्राम सेवक सरपंच के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगें।'' प्रतिस्थापित की जाती है, जिसे तदनुसार पढा जावे।

इन कनिष्ठ लिपिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रक्रिया वही रहेगी जो ग्राम सेवक के लिय विहित है। साथ ही इनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु प्रतिवेदक अधिकारी तथा समीक्षक अधिकारी भी वही रहेंगें जो ग्राम सेवक के लिये निर्धारित है।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, मान0 मंत्री महोदय, ग्राविपंराज विभाग ,राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त , पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. प्रोगामर, कम्प्यूटर सैल, पंचायती राज विभाग, जयपुर। वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. प्रदेशाध्यक्ष, पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन (राज0) 115—ए, गुलाब विहार, सीताबाडी, सांगानेर, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव